

नागरिक/ग्राहक चार्टर

व्यय विभाग

(वित्त मंत्रालय)

कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली, पिन कोड: 110001

http://www.doe.gov.in

जारी करने का माह: मई, 2024

आगामी समीक्षा: अप्रैल, 2027

क. प्रस्तावना

व्यय विभाग मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल विभाग है। इसे केंद्र सरकार में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख, राज्यों के वित्त संबंधी मामलों, वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, लेखा परीक्षा टिप्पणियों/अवलोकन की निगरानी और केंद्र सरकार के लेखे तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में भी सहायता करता है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की देखरेख करना औरवित्तीय नियमावली/विनियम/आदेशों का संचालन, प्रमुख योजनाओं/परियोजनाओं का पूर्व-अनुमोदन मूल्यांकन और राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

व्यय विभाग नागरिकों को सीधे कोई सेवाएँ प्रदान नहीं करता है। इस विभाग की अधिकांश सेवाएं अथवा कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध होते हैं। तथापि, चूंकि व्यय विभाग का कार्यलोक वित्त में दक्षता बढ़ाने के लिए व्यय प्रबंधन की देखरेख करना है, इस प्रकार इसके कार्य प्रत्यक्षअथवा परोक्ष रूप से नागरिकों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा, यह विभाग आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपनी गतिविधियों से संबंधित जानकारी सीधे नागरिकों को प्रदान करने की सेवाएं देता है और विभाग से संबंधित जनता की सभी शिकायतों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने का भी कार्य करता है।

ख. हमारा लक्ष्य

सुदृढ़ लोक वित्त नीतियों और लोक संसाधन प्रबंधन, शासन एवं जवाबदेही के माध्यम से न्यायपूर्ण और सतत आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, जिससे सार्वजनिक धन का उचित उपयोग हो और राजकोषीय जिम्मेदारी सुनिश्चित हो।

ग. हमारा मिशन

उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक व्यय, के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी आधारित और अन्य व्यय नियंत्रण तथा संसाधन आवंटन उपायों के माध्यम से सरकारी व्यय को युक्तिसंगत और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करके, सुदृढ़ वित्तीय तथा मानव

संसाधनों के आधार पर संपूर्ण सरकारी वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना, जिससे सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

घ. हमारे कार्य/सेवाएँ

1. वित्तीय नियमों और विनियमों तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामले।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और कार्यालयों से संबंधित वित्तीय स्वीकृति, जो नियमों या किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त अथवाप्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. मितव्ययिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की समीक्षा।

4. मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को लागत लेखा से संबंधित मामलों पर सलाह देना और उनकी ओर से लागत जांच कार्य करना।

5. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग से संबंधित मामले।

6. महालेखा नियंत्रक से संबंधित मामले, जिसमें शामिल हैं-

(क) केंद्रअथवा राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखा के सामान्य सिद्धांत और लेखों का स्वरूप, तथा उनसे संबंधित नियमों और नियमावलियों का प्रारूपण अथवा संशोधन;

(ख) केंद्र सरकार के नकद शेष का सामान्यतः और विशेष रूप से, सिविल मंत्रालयों या विभागों से संबंधित आरक्षित जमा राशि का रिजर्व बैंक के साथ मिलान;

(ग) केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखा के उपयुक्त मानकों को बनाए रखने की निगरानी;

(घ) मासिक लेखों का संकलन, राजस्व प्राप्ति के रुझानों और व्यय की महत्वपूर्ण विशेषताओं की समीक्षा करना आदि और वार्षिक लेखों (सारांश, सिविल विनियोग लेखा सहित) की तैयारी जिसमें केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए संबंधित मदों के तहत वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान दिखाया गया हो;

(ङ) केंद्रीय कोषागार नियम और केंद्र सरकार लेखा (प्राप्ति और भुगतान नियम 1983) लागू करना;

(च) सिविल मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रबंधन लेखा प्रणाली के परिचालन में समन्वय और सहायता;

(छ) केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के समूह 'क' (भारतीय सिविल लेखा सेवा) और समूह 'ख' अधिकारियों का कैडर प्रबंधन;

(ज) केंद्रीय सिविल लेखा कार्यालयों के समूह 'ग' और 'ख' अधिकारियों के केंद्रीय सिविल लेखा कर्मचारियों से संबंधित मामले;

(झ) केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों, स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों और पूर्व राष्ट्रपतियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के माध्यम से पेंशन का भुगतान।

7. राज्यों की वार्षिक योजना, राज्य आपदा राहत कोष में केंद्र का हिस्सा, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता, उन्नयन अनुदान और ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अन्य अनुदानों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करना।

8. राज्य वित्त विश्लेषण, राज्यों की वित्तीय समस्याएं और राज्यों के राजकोषीय सुधार कार्यक्रम।

9. केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वार्षिक/पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भागीदारी, योजना के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का मूल्यांकन।

10. वित्तीय और आर्थिक प्रभाव वाले केंद्रीय और राज्य विधान की जांच।

11. केंद्रीय मंत्रालयों/पीएसयू के योजना निवेश/व्यय प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन। व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) प्रक्रियाओं और पीआईबी के लिए सचिवालय कार्य से संबंधित मामले।

12. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पूंजीगत पुनर्गठन/पुनरुद्धार प्रस्तावों का मूल्यांकन/अनुमोदन।

ङ. हमारे ग्राहक/हितधारक

- केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/स्वायत्त निकाय
- राज्य सरकारें और उनके अभिकरण तथा स्थानीय निकाय
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (सीएण्डएजी)
- महालेखा नियंत्रक (सीजीए) का कार्यालय
- मुख्य सलाहकार (लागत) (सीएसी) का कार्यालय
- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ)
- अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम)
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएण्डएएस) के सदस्य
- भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के सदस्य
- भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस) के सदस्य
- विभागों के कर्मचारी

च. सेवा वितरण मानक:

- कार्य आवंटन नियमों के अनुसार व्यय विभाग के मुख्य कार्य प्रभागों/विंगों अर्थात् कार्मिक एवं स्थापना, लोक वित्त (राज्य) एवं लोक वित्त (केंद्रीय) तथा लोक प्रापण प्रभाग में निपटाए जाते हैं, जिनके प्रमुख विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सलाहकार हैं।
- नीतिगत मामलेनिम्नलिखित से संबंधित हैं:

►स्थापना/सेवासंबंधी, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामले, जैसे वेतन एवं भत्ते, पेंशन, सरकारी पदों का सृजन/उन्नयन/उन्मूलन; और

►लोकवित्त,सार्वजनिक व्यय पर आर्थिक मितव्ययिता उपाय, वित्तीय नियम, कर्मचारियों का सुव्यवस्थीकरण, राज्यों को वित्तीय सहायता, सार्वजनिक खरीद, अन्य मंत्रालयों/विभागों

(डीसीएन) की सार्वजनिक वित्तपोषित योजनाओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदानसहायता, आदि जैसे कार्य इस विभाग में किए जाते है।

►इसकेअतिरिक्त, नागरिक केंद्रित कार्य, आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सूचना का प्रकटीकरण, लोक शिकायतें, आम जनता कीओर से भ्रष्टाचार की शिकायतें और याचिकाएं, वीआईपी संदर्भ, न्यायालयी मामले, व्यय विभाग से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतें भी निपटाये जातेहैं।

इस विभाग का नागरिक केंद्रित सेवा ढांचा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सेवाओं की सूची	नोडल अधिकारी का विवरण
1.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की शिकायतें	श्री संजय प्रसाद, अपर सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय, कमरा सं. 161, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। दूरभाष: 011-2309 3382 ईमेल: js.pfc2.doe@gov.in
2.	शिकायत निवारण तंत्र	श्री प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा सं. 74बी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। दूरभाष: 011-2309 3290 ईमेल: singh.pk@nic.in
3.	व्यय विभाग से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतें	श्रीमती हेमा जायसवाल, उप महानिदेशक(पीएफसी II) एवं अध्यक्ष (आंतरिक शिकायत समिति), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा सं. 167-सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001। दूरभाष: 011-2309 2578 ईमेल: hema.jais@nic.in
4.	व्यय विभाग की वेबसाइट का नियमित अद्यतनीकरण	श्री प्रदीप कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा सं. 74बी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

		दूरभाष: 011-2309 3290 ईमेल: singh.pk@nic.in
5.	आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाप्रदान करना तथाप्रकटीकरण	श्री अमरजीत सिंह, उप सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा संख्या 504, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003। दूरभाष: 011-24617753 ईमेल: singh.amrjit@nic.gov.in

छ. संगठनात्मक संरचना

व्यय विभाग के कार्यों कोइकाईयों/प्रभागोंमें वितरित किया गया है जिनके प्रमुख विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सलाहकार हैं।

2. प्रभागों के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का कार्य आवंटनसहितइकाई प्रमुखों और अन्य अधिकारियों के नाम, पता, फैक्स/दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी http://doe.gov.in/->Divisionपरऑनलाइन उपलब्ध है।

ज. सुधार के लिए सुझाव/इनपुट:

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्राप्तकर्ताओं/हितधारकों और नागरिकों की प्रतिक्रिया का स्वागत है। हमारा मानना है कि सुझाव और शिकायतें हमें सेवा वितरण के मानकों को बेहतर बनाने और विभाग को अपने ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सहायता करती हैं। नागरिक चार्टर में सुधार के लिए प्रतिक्रिया/सुझाव इस पते पर भेजे जा सकते हैं:

उप सचिव/निदेशक (प्रशासन),
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

झ. आगामी समीक्षा का माहतथा वर्ष

अप्रैल, 2027

प्रयुक्त संक्षेपण:

संक्षेपण	के संदर्भ में
एजेएनआईएफएम	अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
सीपीएओ	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीसीएन	मंत्रिमंडल नोट का मसौदा
डीएफपीआर, 1978	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978
डीओई	व्यय विभाग
जीएफआर, 2017	सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017
जीओआई	भारत सरकार
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
एसआईयू	कर्मचारी निरीक्षण इकाई
आरटीआई अधिनियम	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
पीओएसएच अधिनियम	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

---समाप्त---